

## अध्याय IV

### सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2010 से मार्च 2014) से हमने ₹ 53.65 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए। उनका वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

**जाली और जालसाजी वाले दस्तावेजों के आधार पर संस्वीकृत टीईडी प्रतिदाय राशि की वसूली न करना**

4.1 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 20004-09 के पैराग्राफ 8.3 (सी) के अनुसार मुख्य/उप ठेकेदार द्वारा माल की आपूर्ति, जो कि एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 की शर्तों में माने गए निर्यात के रूप में योग्य है, प्रक्रिया की हैंडबुक (एचबीपी) खण्ड-I में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्ययधीन टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के लाभ के लिए पात्र है। एचबीपी, खण्ड-I के पैराग्राफ 8.3.1 (iv) के प्रावधानों की शर्तों में, एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (डी) से 8.2 (जे) में उल्लिखित वर्गों के अन्तर्गत आपूर्तियों (माने गए निर्यात) के संबंध में टीईडी प्रतिदाय के लिए दावे को या तो प्रभावित आपूर्तियों के सबूत या प्राप्त भुगतान के आधार पर फाइल किया जा सकता है।

ऐसे दावे के समर्थन में प्रयोग किए गए आवेदन या दस्तावेजों में यदि कोई गलत या जाली या भ्रामक विवरण पाया जाए तो भविष्य में आगे योजना का लाभ देने से इनकार सहित विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली 1993 के नियम 7 के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधान लगाया जाएगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए महानिदेशालय, विदेश व्यापार, नई दिल्ली ने “डिनाइड एन्टीटीज लिस्ट (डीईएल) के अनुरक्षण के लिए दिशानिर्देशों” के पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत निर्देश जारी किए (31 दिसम्बर 2003) ताकि निम्न कार्रवाही प्रांभ की जा सके:

(क) जाली/जालसाजी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत स्थानीय पुलिस को शिकायत करना

(ख) फर्म को डीईएल में रखने की कार्रवाई के बाद जांच/अधिनिर्णय के लिए प्रवर्तन डिविजन को फाइल अन्तरित करना

(ग) फर्म के आईई कोड का स्थगन और

(घ) कार्यालय प्रमुख द्वारा मामले की जांच और मुख्यालय को 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना कि इस जालसाजी में किसी अधिकारी के सहयोग हेतु मिलीभगत शामिल है।

मै. सेनबो इंजीनियरिंग लि. कोलकाता को 2008-09 और 2009-10 के दौरान मै. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) को परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र और श्री एस.एस. पदमानावन, मुख्य अभियन्ता द्वारा परियोजना प्राधिकारी (अर्थात् डीएमआरसी) की ओर से जारी/हस्ताक्षरित भुगतान के प्रमाणपत्र के आधार पर की गई आपूर्तियों के लिए कई मामलों में अपर डीजीएफटी, कोलकाता द्वारा टीईडी के प्रतिदाय की संस्वीकृत की गई थी। तथापि, डीजीएफटी कार्यालय द्वारा दस्तावेज के अनुवर्ती सत्यापन से पता चला कि आवेदक द्वारा दावा किए गए टीईडी का प्रतिदाय की जाली और नकली दस्तावेजों के आधार पर किया गया था क्योंकि मैं डीएमआरसी ने पुष्टि की कि परियोजना प्राधिकार प्रमाणपत्र और भुगतान का प्रमाणपत्र उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था और श्री एस पदमानावन कभी भी मै. डीएमआरसी में नियुक्त नहीं हुआ था। तदनुसार, डीजीएफटी, कोलकाता ने 10 मामलों में आवेदक को कारण बताओ नोटिस इन निर्देशों के साथ जारी किया कि जालसाजी से लाभ लेने के लिए 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदत्त टीईडी की राशि की वापसी की जाए। “डीनाइड एनटीटीज लिस्ट के अनुरक्षण हेतु दिशानिर्देशों” के पैराग्राफ 3 के अनुरूप कार्रवाई अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थी।

तथापि, आगे संवीक्षा से पता चला कि अन्य आठ मामलों के संबंध में ₹ 4.43 करोड़ की राशि के टीईडी का प्रतिदाय, दावे जो उसी व्यक्ति (श्री एस. पदमनावन, मुख्य अभियन्ता, जैसा ऊपर उल्लिखित है) द्वारा हस्ताक्षरित समान दस्तावेजों द्वारा संलग्न थे, न तो कोई एससीएन/मांग नोटिस जारी किए गए थे और न ही विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियम 7 में परिकल्पित कोई कार्रवाई की गई थी और फर्म के विरद्ध दिनांक

31 दिसम्बर 2003 की डीजीएफटी निर्देश/दिशानिर्देश प्रारंभ किए गए। फर्म को 10 अक्टूबर 2014 को डीईएल पर रखा गया था।

ध्यान दिलाए जाने पर (मई 2014/जुलाई 2015) डीजीएफटी, नई दिल्ली, वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि मै. सेनबो इंजीनियरिंग लि. से एक मामले में ₹ 19.33 लाख की वसूली के अलावा (जून 2014) अन्य नौ मामलों में आर्डर-इन ओरिजिनल जारी किया गया है (जून 2015)। बाकी के नौ मामलों में फर्म को उनके ब्याज और शुल्क के प्रतिदाय के निवेदन के अनुसार 30 सितम्बर 2015 तक का समय दिया गया है। तथापि, आईपीसी के अन्तर्गत प्रारंभ की गई कार्रवाई या ऐसे जाली दावों से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जांच करने के बारे में उत्तर मौन है।

तथ्य यह रह जाता है कि न तो विभाग ने प्रासंगिक कानून के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की या धोखाधड़ी जारी रखने में अधिकारियों की मिलीभगत, यदि कोई हो तो का पता लगाने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत यथा अपेक्षित जांच की। इसके कारण राजकोष को हानि हो सकती है और भविष्य में ऐसे मामलों के घटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

### **सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभारों की वसूली न होना**

**4.2** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 अप्रैल 1991 के पत्र सं. ए 11018/9/91 प्रशा. IV द्वारा लागत वसूली आधार पर सृजित पदों के संबंध में लागत की वसूली मासिक औसत लागत जमा डीए, सीसीए, एचआरए और परिवहन भत्ते इत्यादि की अग्रिम में 1.85 गुणा की समान दर पर वसूली के निर्देश दिए गए थे।

इसके अलावा, दिनांक 17 अक्टूबर 1997 के सीबीईसी परिपत्र सं. 52/1997-सी.शु में प्रावधान किया जाता है कि सीमा शुल्क कमिश्नर उक्त संरचना में वास्तव में तैनात स्टाफ की संख्या के लिए अग्रिम लागत वसूली प्रभारों के जमा को स्वीकार करेगा। स्टाफ के लिए तीन महीनों के लिए अग्रिम जमा हो सकती है।

आईसीडी दादरी और सीमा शुल्क कमिशनरी नोएडा के अन्तर्गत लोनी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता लगा कि दो कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों के संरक्षकों (सीएफएस) अर्थात् सीएमए सीजीएम, लोजिस्टिक पार्क और आईसीडी दादरी में आल कार्गो लोजिस्टिक पार्क लि. और आईसीडी, लोनी के संरक्षक ने क्रमशः अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 3.35 करोड़ और अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के लिए ₹ 4.02 करोड़ के लागत वसूली प्रभारों का भुगतान सीमा शुल्क को नहीं किया गया था। तथापि विभाग ने संरक्षकों से देयों के संग्रहण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस पर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 2014 से अप्रैल 2015) विभाग ने कहा (मार्च/मई 2015) कि सभी तीन संरक्षकों के अनुरोध दिनांक 12 सितम्बर 2015 की एफ सं. 434/17/2004-सीशु iv के सीबीईसी निर्देशों के तहत छूट के लिए सीबीईसी के पास लम्बित हैं और अतः वह विभाग को लागत वसूली प्रभारों का भुगतान नहीं कर रहे थे। यद्यपि, उन्हें नियमित रूप से लागत वसूली प्रभारों को जमा करने को कहा जा रहा है। आईसीडी दादरी के मामले में, यह भी बताया गया है कि राजस्व की सुरक्षा के लिए, दोनों संरक्षकों ने वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि लागत वसूली प्रभारों के सभी बकाया का अधित्याग तिथि तक उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

दिनांक 12 सितम्बर 2005 की एफ सं. 434/17/2004-सी.शु iv के पैराग्राफ के दृष्टिगत विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि लागत वसूली प्रभारों का अधित्याग प्रत्याशित होगा जिसमें पिछली अवधि के लिए कोई दावा नहीं होगा। इसके अलावा, परिपत्र सं. 52/1997-सी.शु अनुबंध करता है कि स्टाफ के लिए तीन महीने का अग्रिम जमा किया जाना चाहिए। अतः वचनबद्धताओं के आधार पर देयों को जमा करने में संरक्षकों के शिथलन के लिए कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है।

सहायक कमिशनर, नौयडा सीमाशुल्क कमिशनरी ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि मैसर्से सीएमए सीजीएम लोजिस्टिक पार्क और मैसर्से आल कार्गोलोजिस्टिक पार्क लिमिटेड ने 2013-14 की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 50 लाख और ₹ 29 लाख का भुगतान किया था।

शेष अवधि के लिए लागत वसूली प्रभार अभिरक्षकों से वसूली योग्य हैं।

मंत्रालय को मामला जुलाई 2015 में भेजा गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

**एमओटी दरों का संशोधन न करने के कारण सीमाशुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली**

4.3 मर्चेट ओवरटाइम (एमओटी) प्रभारों में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 3.5 गुणा वृद्धि के परिणामस्वरूप 1968 के विनियमों में निर्धारित मौजूदा दरों के संशोधन द्वारा अक्तूबर 1998 से 100 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि हुई थी।

अगस्त 2008 में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद 5वें वेतन आयोग में निर्धारित वेतन की तुलना में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में दोबारा 2.42 से 3.23 गुणा तक वृद्धि हुई थी। तथापि, बोर्ड द्वारा अभी तक एमओटी दरों का तदनुरूपी संशोधन नहीं किया गया और तदनुसार एमओटी प्रभार अभी भी सितम्बर 1998 में निर्धारित दरों पर लगाए जाते हैं। बोर्ड ने वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनमानों के संशोधन के उपरान्त एमओटी दरों के आवधिक संशोधन पर विचार नहीं किया।

कोलकाता (पोर्ट) कमिशनरी के अन्तर्गत अपर कमिशनर सीमा शुल्क, मिनी कस्टम हाउस, हल्दिया के कार्यालय में एमओटी संग्रहण अभिलेखों की संवीक्षा से एमओटी फीस का संशोधन न होने के कारण अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 712.07 लाख तक के सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली का पता चला।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (अक्तूबर 2014) सहायक कमिशनर, सीमाशुल्क मिनी कस्टम हाउस, हल्दिया ने कहा (जनवरी 2015) कि एमओटी फीस के संशोधन के संबंध में अभी उच्च प्राधिकारी से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीईसी ने 2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 (लेखापरीक्षा पैरा सं. 4.6 डीएपी ऐ102/2012-13) में उद्भूत लेखापरीक्षा आपति के लिए अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में कहा (जुलाई 2015) कि एमओटी प्रभारों के संशोधन का मामला विचाराधीन है।

तथ्य यह रह जाता है कि एमओटी प्रभारों के संशोधन पर अनिर्णय के कारण कम दर पर वसूली हो रही है।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

### नियमों और अधिसूचना में अपर्याप्त संशोधन के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

4.4 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (टीआरयू-1) ने दिनांक 28 फरवरी 2011 (बजट के दिन जारी) के अपने डीओ पत्र के क्रम सं. 4.3 (बी) के साथ पठित क्रम सं. 4.1 के द्वारा लगभग 130 प्रविष्टियों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट वापिस ली, जैसा कि दिनांक 1 मार्च 2011 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 1/2011-सीई में समाविष्ट है और इन मदों पर 1 प्रतिशत (मार्च 2012 में बाद में संशोधित कर 2 प्रतिशत) का नाममात्र का शुल्क इस शर्त के साथ प्रारंभ किया कि ऐसी मदों पर प्रदत्त शुल्क का कोई क्रेडिट इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा और इनपुट सेवाओं को लिया जाएगा। तदनुसार 1 प्रतिशत योजना के कार्यान्वयन के लिए एक परन्तुक 1 मार्च 2011 को सेनवेट नियमावली 2004 के नियम 3 (1) (i) के नीचे शामिल किया गया था जिसमें ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट अननुमत किया गया था। टैरिफ शीर्ष सीटीएच 2701 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय ‘कोयला’ उपरोक्त अधिसूचना सं. 1/2011-सीई (अधिसूचना की क्रम सं. 28) द्वारा अननुमत सेनवेट क्रेडिट की 130 मदों में से एक होने के नाते भी सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था।

तत्पश्चात, ‘कोयला’ दिनांक 17 मार्च 2012 (यथा संशोधित) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई (क्रम सं. 67) के अन्तर्गत 2 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर इस शर्त के साथ उद्ग्राह्य था कि इनपुटों या इस माल के विनिर्माण में प्रयुक्त (शर्त सं 25) इनपुट सेवाओं के संबंध में कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है।

कोयले का आयात दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सी.शु (क्रम सं. 123) के अन्तर्गत 2 प्रतिशत के शुल्क की दर पर प्रतिकारी शुल्क (जो उत्पाद शुल्क के बराबर है) अनुमत है। तथापि, सीमा शुल्क अधिसूचना

सं. 12/2012-सीशु में सेनवेट क्रेडिट का लाभ न लेने की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था जबकि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की शर्त सं. 25 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित था। यह दोनों अधिसूचनाएं (12/1012-सीई और 12/2012-सी.शु) मार्च 2012 में जारी की गई थी। इस अपर्याप्त संशोधन का प्रभाव यह था कि एक निर्माता को घरेलू बाजार से अधिप्राप्त ‘कोयले’ पर प्रदत्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट के लाभ की हकदारी नहीं थी किन्तु गलती से आयातित ‘कोयले’ पर लाभ लेने का हकदार था। सीमा शुल्क अधिसूचना में कमी का विनिर्माताओं द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है जैसा नीचे वर्णित है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, रेज-II, डिविजन- II बडोदरा-I के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मैं. श्री लोनसेन कीरी केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि. (100 प्रतिशत इंओयू) ने मैं अदानी एंटरप्राइजेस लि. दाहेज द्वारा आयातित 22.30 एमटी “गैर कोकिंग कोयले” की खरीद की (अक्तूबर 2013 से मार्च 2014) और आपूर्तिकर्ता (मैं. अदानी एंटरप्राइसेस लि.) द्वारा प्रभारित 2 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क के ₹ 7.18 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप, सेनवेट क्रेडिट नियमावली और सीमा शुल्क अधिसूचना में अपर्याप्त संशोधन के कारण ₹ 7.18 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2014), अधीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने बताया (मई 2014) कि लेखापरीक्षिती सत्व ने गलत तरीके से लिए गए सेनवेट क्रेडिट की राशि को वापिस कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, जांच में पता चला कि मैं. अदानी एंटरप्राइसेस लि. ने 17 मार्च 2015 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान आयातित कोयले पर ₹ 235.50 लाख की राशि का सेनवेट क्रेडिट (डीलर/आयातक होने की वजह से सेनवेट क्रेडिट के लाभ का दावा नहीं कर सके) अपने ग्राहकों को पास किया था जिसमें विभिन्न विनिर्माता/ दूसरे स्तर के डीलर शामिल थे। तदनुसार, यह विनिर्माता/दूसरे स्तर के डीलर सेनवेट क्रेडिट का लाभ सीमा शुल्क अधिसूचना में कमी के कारण ले रहे थे।

बोर्ड राजस्व की रक्षा कर सकता है यदि वह सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अनुरूप सीमा शुल्क अधिसूचना के सुधारात्मक संशोधन पर विचार करे ताकि ‘आयातित कोयले’ पर सेनवेट क्रेडिट के लाभ के साथ-साथ घरेलू बाजार से की गई अधिप्राप्ति प्रशासित हो सके।

मंत्रालय उचित कार्रवाई हेतु सभी ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकता है।

मंत्रालय को मामला अक्टूबर 2015 में बताया गया था उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

### लागू एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगाकर आयात की मंजूरी

4.5 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी देश से भारत में उसकी सामान्य कीमत से कम पर निर्यात की जाती है तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा एंटी डम्पिंग शुल्क लगा सकती है। तदनुसार समय समय पर ‘फ्लोट ग्लास’, फोसफोरिक एसिड, और पोलीप्रोपाइलीन जैसे माल पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया गया था जब यह इंडोनेशिया, कोरिया आर पी, ताईवान और सिंगापुर जैसे विशिष्ट देशों से आयात की जाती थी।

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने मैं. आशी इंडिया लि. और 10 अन्यों इन विशिष्ट देशों से ऐसे आयातित माल के 22 परेषणों पर ₹ 90.06 लाख का लागू एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगा कर मंजूरी दी।

मै. आशी इंडिया लि. द्वारा ‘फ्लोट ग्लास’ के आयात के संबंध में आईसीडी, रेवाडी प्राधिकारियों ने कहा (सितम्बर 2013/जून 2014) कि जांच रिपोर्ट के अनुसार आयात किया गया माल टिंटड प्रकार (लाइटग्रीन) का फ्लोट ग्लास था। तदनुसार, आयातित माल पर कोई एंटी डम्पिंग शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट वर्ष 2011 में आयातित माल से संबंधित थी। जबकि आपत्ति किया गया माल 2012 में आयात किया गया था। विनिर्माता ने मूल प्रमाणपत्र और लैंडिंग के बिल में माल को टिंटड प्रकार के फ्लोट ग्लास के रूप में वर्णित किया था किन्तु आयाक ने एंटी डम्पिंग शुल्क से बचने के लिए उसे प्रविष्टि बिल में उसका हल्के हरे फ्लोट ग्लास के रूप में उल्लेख किया था। अतः इंडोनेशिया से

आयातित माल टिंटड प्रकार का फ्लोट ग्लास है जिस पर एंटी डम्पिंग शुल्क उद्ग्राह्य था। तथापि, विभाग ने एक सुरक्षात्मक मांग उठाई (जून 2014)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)

जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई से 10 आयातकों द्वारा किए गए आयात के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है। (जनवरी 2016)

### लागू सुरक्षा शुल्क लगाए बिना आयात की मंजूरी

4.6 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी के अनुसार जहां ऐसी बड़ी मात्रा में भारत में किसी माल का आयात किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत कि वे घरेलू उद्योग को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो केन्द्र सरकार, एक अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर सुरक्षा शुल्क लगा सकती है। तदनुसार, सुरक्षा शुल्क समय समय पर ट्यूबों, पाइपों और होलो प्रोफाइलों, आयरन के सीमलैस, एलाय या गैर एलाय स्टील (सीटीएच 7304), डीसी 1 एलकोहोल (इकोरोल 10/98) और ‘माईरिस्टिक/माइरिस्टी 1 सेचुरेटड फैटी एलकोहोल (सीटीएच 290517/382370) जैसी वस्तुओं पर लगाया गया था जब इन्हें विशिष्ट देशों जैसे चीन, इंडोनेशिया और डेनमार्क से आयात किया गया था।

मै. योगेश हाइड्रोलिक्स प्रा. लि. और 12 अन्यों द्वारा इन विशिष्ट देशों से ऐसे आयातित माल के बीस परेषणों को ₹ 80.49 लाख का लागू सुरक्षा शुल्क लगाए बिना मंजूरी दी गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015/जनवरी 2016) में पाँच आयतको (मैसर्स नियोजन केमिकल्स लि. मैसर्स क्वेन्ट केम, मैसर्स सीजेन्ट केमिकल कारपोरेशन प्राइवेट लि., मैसर्स सूफी ट्रेकर्स एवं मैसर्स एस्टीम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि.) को माँग एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और मैसर्स पुष्प सन्स फिवरोल प्राइवेट लि. से ₹ 7.34 लाख की वसूली सूचित की। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

## आरएसपी के गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्कों का कम उद्ग्रहण

4.7 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत उद्ग्राहय उत्पाद शुल्क (सीवीडी) के बराबर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की गणना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 (1) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रभार्य सीमा शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित आयातित वस्तु के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में की जाती है। लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आयातित वस्तु को उसके पैकेज पर ऐसी वस्तु की खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) घोषित करना अपेक्षित है, आयातित वस्तु का मूल्य छूट की राशि को कम करके आयातित वस्तु पर घोषित आरएसपी मानी जाएगी।

जहां उचित संदेह है कि घोषित मूल्य लेनदेन मूल्य को नहीं दर्शाता, वहाँ घोषित मूल्य को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) के नियम 12 के अन्तर्गत उचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है और मूल्य का निर्धारण नियम 4 से 9 के अनुसार क्रमिक रूप से कार्रवाई द्वारा किया जाता है।

मैं लेनोवो इंडिया प्रा.लि. और चार अन्य ने चेन्नई समुद्र और वायु कमिशनरियों के माध्यम से ‘लेपटाप कम्पयूटर एलसीडी मानीटर और साफ्टवेयर’ के 21 परेषण आयात किये (मई से नवम्बर 2011)। माल का निर्धारण आरएसपी के घोषित मूल्य पर प्रतिकारी शुल्क जो उत्पाद शुल्क के बराबर है जिसमें दिनांक 24 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) में विनिष्टिट लागू छूट अनुमत करते हुए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि घोषित आरएसपी माल की आयातित लागत से काफी कम थी जिसके परिणामस्वरूप आरएसपी की गलत घोषणा हुई। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने घोषित मूल्य (आरएसपी) को अस्वीकार नहीं किया और सीवीडी के उद्ग्राहय के लिए सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य के निर्धारण) नियमावली, 2007 के अनुसार मूल्य के निर्धारण की विधि का भी अनुसरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, आईसीईएस 1.5 मॉड्यूल में

इन बिल्ड प्रणाली भी ऐसी गलत घोषणा का पता लगाने और उचित कार्रवाई करने में विफल रही। अतः आयातित माल के मूल्य के निर्धारण में नियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 54.10 लाख की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस बारे में बताए जाने पर (मार्च 2012) विभाग ने कहा (जून 2012) कि एक आयातक मै. सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड ने ₹ 0.06 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.87 लाख के शुल्क का भुगतान किया गया था (मई 2012)। अन्य आयातकों के संबंध में उत्तर प्रातीक्षित है (जनवरी 2016)।

### विदेशी शराब का आयात

**4.8** सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 22 के अन्तर्गत विदेशी शराब को भारत के विभिन्न सीमा शुल्क पोर्ट के माध्यम से विभिन्न देशों से आयात किया जा रहा है और वेयरहाउसिंग प्रविष्टि बिल (बीईज अथवा इन्टू-बॉन्ड बीईज) फाईल करने वाले आयात बंदरगाहों पर भंडारण किया जा रहा है और निर्धारित शुल्क हेतु बांड/बीजी दिया जा रहा है। तब आयातक ट्रांस शिपमेंट बॉन्ड बीजी के कार्यान्वयन के अंतर्गत अन्य गंतव्य तक भंडारित वस्तुओं का ट्रांसशिपमेंट करना चाहते हैं। माल को ‘शुल्क मुक्त माल के एक्स बांड के निर्यात हेतु शिपिंग बिल’ और माल के विवरण, मात्रा, मूल्य और माल पर शुल्क के ब्यौरे देते हुए अनुबंध 3 (एक वेयरहाउस से दूसरे पोर्ट तक माल के स्थानांतरण हेतु आवेदन) के रूप में दस्तावेज सहित हस्तांतरण बॉन्ड के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है। तथापि, इन्टू-बॉन्ड, बी/ईज, बीजकों इत्यादि की कोई प्रतियां हस्तांतरित माल के लिए नहीं भेजी गई। गंतव्य पोर्ट पर हस्तांतरित माल के प्राप्त और पुनः वेयरहाउस होने के बाद संरक्षक (गंतव्य पोर्ट), मूल वेयरहाउस (सीमा शुल्क) को पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र (आरडब्लूसी) जारी करता है, जो अब तक बॉन्ड/बीजी को रद्द करता है।

समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नई, कोच्ची, आईसीडी, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट मुंबई और एसीसी बैंगलुरु, चेन्नई, बैंगलुरु और कोलकाता पर शुल्क मुक्त दुकानों पर की अवधि के लिए शुल्क मुक्त आयात 15-2014 से 13-2012 के साथ की शुल्क के भुगतान पर शराब के आयात की प्रणाली की तुलना,

मूल्य जिस पर शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा शराब बेची जाती है, पुन “वेयरहाउसिंग की प्रणाली, माल के ट्रान्सशिपमेंट के कम्यूटरीकरण की सीमा इत्यादि का अध्ययन किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे सोदाहरण दिये गए हैं।

### लेखाकरण में आयातित शराब का आधिक्य/कमी

**4.8.1(i)** शुल्क मुक्त दुकान पर एयरपोर्ट और एयर कार्गो कमिशनरी बैंगलुरु द्वारा प्रस्तुत डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा और विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न ब्राण्डों 199 मर्दों के संबंध में शराब की 25322 यूनिटों का आधिक्य था। इसी प्रकार, विभिन्न ब्राण्डों की 161121 मर्दों के संबंध में 307 यूनिटों की कमी थी। यूनिटों की कमी का छोड़ा गया ₹ 23.82 करोड़ का शुल्क व्याज सहित वसूली योग्य है।

**4.8.1 (ii)** इसी प्रकार चेन्नई समुद्री पोर्ट में माल के आगमन पर उन्हें सीमा शुल्क ईडीआई पर वेयरहाउस प्रविष्टि के बिल के रूप में निर्धारित किया गया था और उन्हें सीधा वीरुगमबकम, चेन्नई में कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएल) मे ले जाया गया था। वहाँ माल को उतारा गया और प्रविष्टि के बिल के लिए बांडेड परेषण में मैं प्राप्त किये गए थे। आयातकों के लिए जब भी भण्डार की आवश्यकता हुई {(भारतीय पर्यटन विकास निगम) (आईटीडीसी) और यूनाइटेड ड्यूटी फ्री रीटेल दुकान (यूडीएफआरएस)} माल को सीमा शुल्क हाउसेस के माध्यम से पीसी मल में एक्स बांडड किया जाता था जिसे या तो शुल्क मुक्त दुकान या राज्य में अन्य स्थानों को हस्तांतरित किया गया जहाँ इन फर्मों की शाखाएं हैं। माल की एक्स बॉडिंग के लिए, दो मैनुअल रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाता है अर्थात् व (क) वेयरहाउस ब्रांडेड रजिस्टर और (ख) समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नई में ट्रान्सशिपमेंट बॉन्ड रजिस्टर।

ब्रांडेड वेयरहाउस रजिस्टर में एक्स ब्रांड और जारी या शुल्क मुक्त दुकान या अन्य शाखाओं को हस्तांतरित शराब के बिल का प्रविष्टि-वार विवरण होता है। शराब के हर वर्ग के लिए प्राप्ति, जारी और शेष इस रजिस्टर में दर्ज होते हैं। ट्रान्सशिपमेंट बॉन्ड रजिस्टर में माल का) कुल मात्रा-मिश्रित शराब (का ‘स्थानांतरण’ का ब्यौरा दर्ज होता है जिसमें प्रविष्टियों को बहुल बिलों से ली

गई शराब की विभिन्न मात्रा/वर्ग की कुल संख्या होती है। बांडेड वेयरहाउस रजिस्टर में जारी शराब के प्रत्येक वर्ग के लिए कॉट्रा डेबिट पोस्टिंग की जाती है।

**सिद्धान्ततः**: ट्रांजिट बॉन्ड रजिस्टर (टीबीआर) के साथ ट्रांजिट बॉन्ड संख्या (टीबीसं) में दर्ज कुल हस्तांतरित और रिकॉर्ड की गई मात्रा एक दी गई तिथि पर विभिन्न प्रविष्टि के बिल/बॉन्ड से ली गई मिश्रित मात्रा के साथ मेल खानी चाहिए। उपरोक्त रजिस्टरों में उपलब्ध विवरण की तुलना से पता चला कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान 6215 संख्या की सीमा तक मात्रा में अंतर था जो माल की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। माल की कमी के लिए न्यूनतम मूल्य ₹ 37.29 लाख निकला और उस पर शुल्क/अतिरिक्त शुल्क ₹ 40.27 लाख निकला (100 प्रतिशत आयात शुल्क पर परिकलित) जो कुल ₹ 77.56 लाख था।

### शराब का कम मूल्यांकन

**4.8.2 (i)** यूनाइटेड इयूटी फ्री रीटेल शॉप (यूडीएफआरएस) और आईटीडीसी (भारत सरकार का उएक उपक्रम) ने इस प्रबंधन के साथ विदेशी शराब (शुल्क मुक्त) का आयात किया कि यह आयातित शराब उनके नियंत्रण के अंतर्गत चल रहीं शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से बेची जानी थीं। उन आयातकों जिन्होंने शुल्क के भुगतान (विस्तृत विवरण आईसीईएस 1.5 ट्रांसेक्शनल डॉटा से प्राप्त किया गया) के बाद माल की निकासी की थी और दर जिसपर वही शराब आईटीडीसी (शुल्क मुक्त दुकान) द्वारा आयात की गई थी के बीच दरों की तुलना से पता चला कि 2012-13 के दौरान 30 मामलों में (जहां अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है) वहां शुल्क के भुगतान पर निकासी की गई शराब पर ₹ 26.15 लाख की सीमा तक अवमूल्यांकन हुआ था और इस पर शुल्क/अतिरिक्त शुल्क (4 प्रतिशत) पर ₹ 41.84 लाख निकाला गया था जिसका कुल ₹ 67.99 लाख था। लेखापरीक्षा को महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) द्वारा कोई मूल्य दिशानिर्देश प्रस्तुत नहीं किए गए।

**4.8.2 (ii)** इसके अलावा मुम्बई किमशनरी के अन्तर्गत मै. परनोड रीकार्ड इंडिया प्रा. लि., मै. डीयागियो इंडिया प्रा.लि., मै. बकार्ड इंडिया प्रा.लि.,

यूनाइटेड स्पिटिट्स लिमिटेड ने अपनी संबंधित पार्टियों से नामतः क्रमशः मै. परनोड रीकार्ड गल्फ, मै. डीयागियो ब्रांडस बीवी, मै. ट्राडल एस.ए., मै. वाइट एंड मैके लिमिटेड से आयात किया था। आयातक और निर्यातक के बीच व्यवसायिक हित और आर्म लेंथ लेन देन की कमी के हृष्टिगत उन संबंधित पार्टियों द्वारा घोषित संव्यवहार मूल्यों की पुनरीक्षा सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य के निर्धारण) के नियम 3 द्वारा की जा सकती है। इन आयातकों द्वारा संबंधित पार्टियों से आयात में शामिल कर अवमूल्यांकन ₹ 4.84 करोड़ था।

**4.8.2 (iii)** मुम्बई कमिश्नरी के माध्यम से असंबद्ध पार्टी के मामले में किए गए कुछ आयात भी मै. डीएफएस इंडिया प्रा.लि कि आयात की कीमतों की तुलना में कम मूल्य पर थे। मै. डीएफएस इंडिया प्रा. लि और असंबद्ध आयातों की तुलना में नमूना जांच की गई बीईज में ₹ 1.08 करोड़ का अवमूल्यांकन था।

कुल कम मूल्यांकन ₹ 5.92 (4.84 +1.08 ) करोड़ था जिसमें ₹ 9.47 करोड़ का शुल्क शामिल था।

**4.8.2 (iv)** कोच्ची कमिश्नरी में 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए आयात डाटा की संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2014 में मै. एम एण्ड बी एसोसिएट्स ने मै. पीटर जस्टीसेन कम्पनी से जोन बार स्काच विस्की (40%) का आयात किया; माल का निर्धारण ₹ 268 प्रति यूनिट की दर पर किया गया। जबकि मै. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी जुलाई 2014 के दौरान समान विक्रेता से समान ब्रांड की विस्की का आयात किया और विभाग द्वारा माल का निर्धारण ₹ 361 प्रति यूनिट की दर पर किया गया। मै. एम एण्ड बी एसोसिएट्स द्वारा आयात माल का निर्धारण मै. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा घोषित मूल्य की तुलना में ₹ 93 प्रति यूनिट तक की सीमा तक कम मूल्यांकन किया गया। मै. एम एण्ड बी एसोसिएट्स द्वारा माल के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1200 यूनिटों के संबंध में ₹ 1.98 लाख का कम उद्घरण हुआ।

### पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता

**4.8.3 (i)** एयर इंडिया लिमिटेड ने समुद्र सीमाशुल्क, चेन्नई के माध्यम से सिंगापुर से 'टाइगर बीयर' के 2250 कारटन का आयात वेयरहाउस बीई (दिनांक 23 मार्च 2013 सं. 9654940) द्वारा ₹ 10.13 लाख के मूल्य पर किया था। माल की निकासी 01 अप्रैल 2013 को शुल्क का भुगतान किए बिना की गई थी। उसी माल को 28 मार्च 2013 को ट्रांसशिपमेन्ट बांड सं. 328 (दिनांक 28.03.2015 बांड सं. 2000445235) द्वारा एयरपोर्ट चेन्नई में स्थिति दूसरे वेयरहाउस को हस्तांतरित किया गया था। ट्रांसशिपमेन्ट बांड रजिस्टर की संवीक्षा से पता चला कि माल जहां भेजा गया था वहां के प्राधिकारी से पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र के अभाव में ट्रांसशिपमेन्ट बांड लम्बित पड़े रहे। चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए माल के लिए पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने या मै. एयर इंडिया द्वारा शुल्क मुक्त आयातित शराब पर लागू ब्याज सहित ₹ 10.14 लाख का आयात शुल्क वसूली (अक्टूबर 2015) के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

**4.8.3 (ii) प्रविष्टि लेन देनों के वेयरहाउस बिल का आंशिक कम्पयूटरीकरण**  
ईडीआई सिस्टम के माध्यम से बांडिंग के साथ प्रविष्टि के वेयरहाउस बिल की प्रारंभिक फाइलिंग के बाद, अनुवर्ती प्रक्रियाएं जैसे सीमाशुल्क हाउस प्राधिकारियों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल की एक्स बांडिंग और वही शुल्क मुक्त दुकान को जारी करना या उसे राज्य में अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना जहां इन फर्मों की शाखाएं हैं को केवल मैनुअल रजिस्टरों (वेयरहाउस बांड रजिस्टर और ट्रांसिट बांड रजिस्टर) में प्रविष्टियों के माध्यम से ले जाया जाता था। विभाग द्वारा माल के ट्रांसशिपमेन्ट के कम्पयूटरीकरण और उसे ईडीआई सिस्टम के भाग के रूप में बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। एक्स बांड बीईज की मैनुअल फाइलिंग इसलिए अनुमत की गई थी क्योंकि इन्टू-बांड बीई आरई में वास्तव में फाइल ईडीआई के साथ लिंकिंग ईडीआई सिस्टम में उन मामलों में संभव नहीं थी जहां निकासी एक विभिन्न ईडीआई पोर्ट से की गई थी। अतः प्रविष्टि के वेयरहाउस बिल के कम्पयूटरीकरण के लिए व्यवसायिक मैपिंग अधूरी है। लेखापरीक्षा के दौरान एनसीएच दिल्ली ने पुष्टि की कि हाथ से 'भरी एक्स बांड बीईज' के साथ

तदनुरूपी आईसीईएस सिस्टम में इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल की गई ‘इनटू बाड़ बीईज’ के बीच कोई मेल नहीं था।

### शुल्क मुक्त दुकान में बिक्री

4.8.4 बैंगलोर, चैन्नई और कोलकाता में शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा विदेशी शराब का अधिप्राप्ति मूल्य और उनके बिक्री मूल्य की तुलना की गई थी।

संवीक्षा से पता चला कि माल का आयात मूल्य और डीएफएस एयरपोर्ट और एयर कार्गो कमिशनरी, बैंगलोर (2012-13 से 2014-15) द्वारा उस माल की बिक्री के मूल्य आयात मूल्य से 2.5 प्रतिशत से 873 प्रतिशत तक भिन्न थे। चैन्नई समुद्री कमिशनरी के अन्तर्गत यूनाइटेड ड्यूटी फ्री रीटेल शाप (यूडीएफआरएस) ने 18 विभिन्न शराब की मर्दों को उनकी लागत से औसत 200 प्रतिशत की सीमा तक अधिक में बेचा (जनवरी-फरवरी 2014)। चैन्नई समुद्री कमिशनरी के अन्तर्गत इंडिया टूरिज्म डिवलेपमेंट कारपोरेशन (आईटीडीसी) ने 25 विभिन्न शराब मर्दों की बिक्री (दिसम्बर 2014) उनकी लागत से औसतन 239 प्रतिशत से अधिक में की। इसी प्रकार डीएफएस कोलकाता में बिक्री मूल्य अधिप्राप्ति मूल्य की तुलना में औसत 250 प्रतिशत तक अधिक पाए गए थे। मुम्बई में, यह पाया गया कि मैं. डीएफएस इंडिया लि. द्वारा उसके आयातों पर घोषित औसत मूल्य समान माल के अन्य आयातकों से 107 प्रतिशत अधिक था।

महानिदेशक मूल्यांकन, मुम्बई द्वारा निर्धारित विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य के दिशानिर्देश डीजीओवी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे और लेखापरीक्षा का आयात मूल्य के साथ बिक्री मूल्य की तुलना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा करने हेतु सीटीएच के अध्याय 22 से संबंधित लेनदेन डाटा महानिदेशक सिस्टम और डाटा प्रबन्धन (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गये थे।

हमारे विचार से माल के सही निर्धारण के लिए मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) जांच आयातित शराब की मर्दों के चयनित नमूनों पर की जा सकती है जहां आयात मूल्य और बिक्री मूल्य में काफी अन्तर था।

**4.8.5 सारांश में,** आयातित शराब के स्टाक के लेखाकरण की प्रणाली और मानीटरिंग संबंधित पार्टियों के लिए मूल्यांकन नियम का अनुप्रायोग, ट्रांसशिपमेंट बांड के अन्तर्गत जारी माल के लिए पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र, ईडीआई प्रणाली में प्रविष्टि के वेयरहाउस बिलों की आंशिक/अधूरा कम्पयूटरीकरण, डीएफएस द्वारा आयात मूल्य के साथ बिक्री मूल्य की तुलना विधि अपर्याप्त है। एक छोटे नमूना लेखापरीक्षा से औसतन 177 प्रतिशत (14-340 प्रतिशत के बीच) तक आयातित शराब का अधिमूल्यन, ₹ 6.66 करोड़ तक का कम मूल्यांकन, जिसमें ₹ 11.07 करोड़ का शुल्क शामिल था का पता चला। स्टाक 26617 यूनिटों तक अधिक पाया गया था और ₹ 5.67 करोड़ के मूल्य की 6288 यूनिटों तक के स्टाक की कमी थी।

सीबीईसी ने उजागर किए गए बिन्दुओं की जांच और उचित उपचारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

**सीमा शुल्क कमिशनरी की विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) की कार्यप्रणाली**

**4.9 विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी)** एक ऐसा संस्थान है जो संबंधित पार्टियों और कुछ विशेष प्रकृति वाले लेनदेन जो आयात माल के मूल्य पर प्रभाव डालते हैं की जांच में विशेषज्ञ है। एसवीबी केवल पांच सीमाशुल्क हाउसिस (अर्थात्) चेन्नई कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर और मुम्बई में स्थित है और इन सीमाशुल्क हाउसिस में किसी में भी एक विशेष मामले के संबंध में लिया गया निर्णय का सभी अन्य सीमाशुल्क हाउसिस/संरचनाओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। विशेष जांच के लिए एसवीबी में पंजीकृत सभी मामलों को संबंधित कमिशनर के विशेष अनुमोदन के साथ होनी चाहिए।

सीबीईसी ने दिसम्बर 2012<sup>32</sup> डीजीओवी के कार्यालय को एसवीबी का कार्यकारी नियंत्रक प्रत्यायोजित किया ताकि एसवीबी में लम्बित मामलों का निकट से मानीटर, एसवीबी जांच प्रारंभ करने का अनुमोदन और जांच का पर्यवेक्षण किया जा सके। निर्धारणों की जांच और अन्तिम रूप देना एसवीबी<sup>33</sup> द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर की तिथि से चार महीने के अन्दर पूरा किया जाना है। एसवीबी के साथ पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब भी उस

<sup>32</sup> दिनांक 7.12.2012 का परिपत्र सं. 29/2012 सी.श.

<sup>33</sup> दिनांक 23.02.2001 का परिपत्र सं. 11/2001- सी.श.

उद्देश्य को विफल करता है जिसके लिए एसवीबी स्थापित किया गया था और इससे विभाग में अनंतिम निर्धारण मामलों का संचय होता है जिससे सरकारी राजस्व के संग्रहण में विलम्ब होता है।

**4.9.1** दिनांक 23.02.2001 के परिपत्र 11/2001 सीमा शुल्क के अनुसार, एसवीबी को 'संबंधित पार्टी' लेन देनों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के मामलों की जांच करना आवश्यक है:

- i) 'रायलटी या लाइसेंस शुल्क' के कारण किए गए अपेक्षित संवर्धन
- ii) अनुवर्ती पुनः बिक्री या निपटान या विक्रेता को उपार्जित माल के उपयोग से मुनाफे के किसी भाग के मूल्य के कारण संवर्धन
- iii) वास्तविक रूप से किए गए अन्य किसी भुगतान या आयातित माल की बिक्री की परिस्थिति के रूप में किए जाने वाले भुगतान के कारण संवर्धन।

इसके अतिरिक्त इस पर जोर दिया गया था कि मामलों को नियमित तौर पर आगे छानबीन हेतु एसवीबी को प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था जब भी आयातक द्वारा मूल्य के संबंध में आरंभिक संवीक्षा किये बिना ही मूल्यांकन नियमों के अनुसार सम्बन्ध घोषित किया गया है जो संबंध से प्रभावित हुआ है। एसवीबी ऐसे आयातक के मूल्यांकन की छानबीन का प्रबन्ध करेगा।

**4.9.2** प्रणाली तथा प्रक्रिया की दक्षता तथा प्रभावशीलता; अधिदेश की अनुपालना के बारे में एक आश्वासन प्राप्त करने के लिए बैंगलौर, कोलकाता एवं दिल्ली तथा चेन्नै में एसवीबी की लेखापरीक्षा की गई थी। निष्कर्षों का नीचे वर्णन किया गया है:-

डीजीओवी की लेखापरीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित अनियमितताएँ हैं जिनका समाधान किया जाना है।

- निर्धारण दलों तथा एसवीबी के डाटा के बीच अन्तर।
- ईडीडी का कम-गैर उदग्रहण।
- एसवीबी छानबीन पूरा होने के बावजूद निर्धारणों को अन्तिम रूप न दिया जाना।

- मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति लम्बित होने के साथ अनन्तिम निर्धारण को अन्तिम रूप न देना/विलम्ब होना।
- एसवीबी द्वारा निर्धारण की छानबीन पूरी होने तथा अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

डीजीओवी ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यद्यपि एसवीबीज को सुदृढ़ करने की इच्छा से एसवीबीज का कार्यकारी नियन्त्रण डीजीओवी को दिया गया था, तथापि बोर्ड से इस संबंध में किसी प्रशासनिक निर्देश के अभाव में यह केवल कागजी कार्यवाही रह गया था। यह देखा गया था कि यद्यपि सभी एसवीबीज ने त्रैमासिक आधार पर लम्बन की रिपोर्ट डीजीओवी को भेजी थी, फिर भी डीजीओवी ने ऐसी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

लेखापरीक्षा को उत्तर में, डीजीओवी ने आगे बताया कि लम्बन के मुद्दे पर संबंधित कमिशनरियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही थी तथा समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे थे। सभी एसवीबीज सीमा शुल्क कमिशनरियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत हैं तथा एसवीबीज में कार्य कर रहे अधिकारियों की तैनाती, छुट्टी, एपीएआर इत्यादि पर डीजीओवी का कोई नियंत्रण नहीं था। डीजीओवी ने यह भी बताया कि एसवीबीज में अधिकारियों की गंभीर कमी थी।

**4.9.3** सीबीईसी परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टियों द्वारा आयात/निर्यात के मामले आयात/निर्यातों के मूल्यांकन के लिए एसवीबी को प्रेषित किये जाने हैं। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संबंधित पार्टियों के बीच विदेशी शराब (मुम्बई कमिशनरी) के आयात तथा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मामले थे जो एसवीबी को प्रेषित नहीं किये गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा ये मामले मंत्रालय को अलग से बताए गए हैं।

अगले पृष्ठ पर कुछ मामले दर्शाये गए हैं:

**4.9.3 (i)** मुम्बई कमिशनरी के अन्तर्गत मै- प्रनोड रिकार्ड इण्डिया प्रा. लि., मै. डियाजिओ इण्डिया प्रा.लि., मैं बकार्ड इण्डिया प्रा. लि., यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने अपनी संबंधित पार्टियों नामतः मै प्रनोड रिकार्ड गल्फ, मै. डियाजिओ ब्रान्ड्स बीवी, मै. ट्राडाल एस.ए., मै. वार्ड एण्ड मैकी लिमिटेड से आयात किया था। आयातक तथा निर्यातक के बीच कारोबार हित के मद्देनजर

तथा संव्यवहारों के आन्से लेन्थ अभाव में, उन संबंधित पार्टियों द्वारा उद्घोषित संव्यवहार मूल्यों की सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) के नियम 3 के द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए थी। संबंधित पार्टियों से निर्दर्शी मामले के आयातों में शामिल कम मूल्यांकन ₹ 4.84 करोड़ था।

**4.9.3 (ii)** इसी प्रकार, स्वर्ण आयात की 20:80 योजना के अन्तर्गत, नगण्य अथवा बिना किसी मूल्य संवर्धन के साथ सादा स्वर्ण आभूषण, चूड़ियाँ अथवा पदक संबंधित पार्टियों को निर्यात किये गए थे। 24 कैरेट स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मामले तक देखे गए थे। अनेक मामलों में सादा आभूषण उसी दिन अथवा स्वर्ण की प्राप्ति के 1 से 3 दिनों के अन्दर निर्यात किये गए थे कुछ प्रेषण अगले दिन प्राप्त हुए थे जो असली आभूषण निर्यात के मामले में संभव नहीं लगता। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि इन एजेन्सियों द्वारा सादा आभूषण के नाम पर स्कैप एवं कच्चे उत्पादों का निर्यात किया गया हो जो बहुत कम अन्तराल पर बार बार निर्यात द्वारा स्वर्ण की भारी मात्राओं का आयात कर रहे थे ताकि 20:80 योजना के 80 प्रतिशत घटक के प्रति अपनी घरेलू बिक्री हकदारी को बढ़ा सकें। डीआरआई से ऐसी कार्य-प्रणाली पर रिपोर्ट थीं।

मंत्रालय लेखापरीक्षा को सूचना के अन्तर्गत ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकता है।

इसी प्रकार, अनन्तिम निर्धारण को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा इसके परिणामस्वरूप एसवीबी डाटा में अन्तर के कारण शुल्क का उदग्रहण कम/ना होना, एसवीबी छानबीन को अन्तिम रूप देने, मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि से संबंधित मुद्दे लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय को अलग से बताए गए थे। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2016)।

#### 4.9.4 मामलों का लम्बन

जून 2015 के अन्त तक, एसवीबीज, बैंगलुरु, कोलकाता तथा चण्डीगढ़ में ही कुल 894 नये मामले तथा 118 नवीनीकरण मामले लम्बित थे। अवधिवार विश्लेषण का आगे विवरण दिया गया है।

मामले	3 महीने तक	3 से 6 महीने तक	6 से 12 महीने तक	1 से 3 वर्षों तक	3 वर्ष से अधिक	कुल
नये मामले	18	16	26(बैंगलौर) + 99(दिल्ली)	145(बैंगलौर) + 214(दिल्ली)+32 (कोलकाता)	208(बैंगलौर)+ 73 (दिल्ली) + 63 (कोलकाता)	894
नवीनी करण मामले	27	18	7	48	18	118

कुछ मामले देखे गए थे जो एसवीबी, बैंगलौर में 2006 से लम्बित थे।

विशेष मूल्यांकन मामलों में अनन्तिम निर्धारण के उद्ग्रहण पर मामले अनन्तिम निर्धारण पर अध्याय में बताए गए हैं।

निर्धारित समय में मामलों को अन्तिम रूप न देने के लिए कारणों की पूछताज़ करने पर एसवीबी, दिल्ली ने बताया कि अधिकतर मामलों में संबंधित पार्टियों ने अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के बावजूद एसवीबी प्रश्नावली का अथवा और उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। चूंकि बोर्ड के परिपत्रों/निर्देशों में ईडीडी में और वृद्धि पर को पुनः विचार नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे मामलों में और कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। एसवीबी, दिल्ली ने आगे सूचित किया कि मुद्दे को अगस्त 2015 में निर्धारित मुख्य आयुक्त सम्मेलन में शामिल करने के लिए मामला मुख्य आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) के कार्यालय को भेजा गया था। मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन का परिणाम लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था (अक्टूबर 2015)।

तथापि, एसवीबी कोलकाता, बैंगलौर तथा चेन्नै से लम्बन के कारण उपलब्ध नहीं थे।

#### 4.9.5 मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता तथा बैंगलौर में मूल आदेश जारी करने के बावजूद अन्तिम रूप देने में विलम्ब, उत्तरों की प्राप्ति, आवेदन की प्राप्ति, अन्तिम रूप देने के लिए निर्धारित समय से अधिक विलम्ब, ईडीडी परिपत्र जारी में विलम्ब, ईडीडी 5 प्रतिशत तक बढ़ाने में विलम्ब के उदाहरण देखे थे। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

**4.9.5 (i)** एसवीबी, बैंगलौर में, दो मामलों में, यद्यपि आयातकों ने ओआईओ की समासि के तीन महीने पहले आवेदन किया था, फिर भी मामलों को 17 महीने से 27 महीने तक के विलम्ब से अन्तिम रूप दिया गया था।

क्रम. सं.	आयातक का नाम	ओआईओ की समासि की तिथि	दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि	ओआईओ जारी करने की तिथि	विलम्ब
1.	दीरक इण्डिया पैनल फिटिंग (पी) लि.	8.3.13.	नवम्बर 2012	18.2.2015	27 महीने
2	पैकल हैन्थकेयर इण्डिया (पी)	26.12.13	सितम्बर 2013	27.2.2015	17 महीने

**4.9.5 (ii)** मूल आदेशों के आधार पर, संबंधित निर्धारण दलों को मै. राईस लैक वेर्इंग सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड, चेन्नै द्वारा किये गए आयातों के लिए बीई (11 नम्बर) को अन्तिम रूप देने का निर्देश दिया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि 11 बीई को अन्तिम रूप देना अभी भी लम्बित था। ₹ 4.30 लाख (अगस्त 2015 तक) के व्याज के साथ ₹ 7.77 लाख का शुल्क वसूली योग्य है। समान आयातों की भी समीक्षा तथा अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

एसवीबी के पास पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब उस उद्देश्य को भी विफल करता है जिसके लिए एसवीबीज स्थापित किये गए हैं तथा इसके कारण सरकारी राजस्व के संग्रह में विलम्ब होने के साथ विभाग में अनन्तिम निर्धारण मामलों का संचय हो गया है।

**4.9.5 (iii)** मै. हनिल ट्यूब इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, से संबंधित मामले में जारी किये गए मूल आदेश (ओआईओ) सं. 25435/2014 दिनांक 15.5.2014 में विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान किये गए ₹ 459.03 लाख की तकनीकी सेवा कीस के निर्धारणयोग्य मूल्य में जोड़ दिया गया था।

15.5.2014 को प्रेषित ओआईओ के विरुद्ध आयातक द्वारा अपील नहीं की गई थी। तथापि, एसवीबी चेतावनियाँ जारी करने के बाद, आयातक ने दिनांक 14 जुलाई 2015 के पत्र द्वारा एसवीबी को सूचित किया कि आदेश सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 153 के अनुसार जारी नहीं किया गया था। तथापि, आदेश पर कार्यवाही न होने के कारण, निर्धारण दल (चेन्नै समुद्र सीमा शुल्क का दल !!) प्रविष्टि बिल तथा अनुवर्ती आयातों को अन्तिम रूप

नहीं दे सका (टिप्पणी दिनांक 16.7.2015)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.08 लाख के शुल्क तथा उस पर लागू ब्याज का संग्रहण नहीं हुआ।

एसवीबी के पास पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब उस उद्देश्य को भी विफल करता है जिसके लिए एसवीबीज स्थापित किये गए हैं तथा इसके कारण सरकारी राजस्व के संग्रहण में विलम्ब होने के साथ विभाग में अस्थाई निर्धारण मामलों का संचय हो गया है।

**4.9.5 (iv)** सीबीईसी ने निर्देश दिया<sup>34</sup> कि जहाँ जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में सहायक/विश्वास किये गये दस्तावेज प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, वहाँ ईडीडी 1% से 5% तक बढ़ा दी जाएगी।

एसवीबी बैंगलौर, कोलकाता, चेन्नै तथा दिल्ली में लम्बित मामलों की नमूना जाँच से पता चला कि 37 मामलों में जहाँ ईडीडी 5% की दर से नहीं लगाई गई थी वहाँ जबकि मामले 1 से 3 वर्षों की अवधि से लम्बित हैं।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

एसवीबी, दिल्ली में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न आयातकों ने संबंधित पार्टियों से 22 खेपों के माध्यम से नवम्बर 2013 से अक्टूबर 2014 के बीच माल का आयात किया था जिस पर ईडीडी का भुगतान या तो नहीं किया गया था अथवा संव्यवहार मूल्य के बजाए सीमा शुल्क के 1 से 5% की दर से भुगतान किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 10.12 लाख राशि के ईडीडी का कम उदग्रहण हुआ।

**4.9.5 (v)** सीबीईसी ने निर्देश<sup>35</sup> दिया कि एसवीबी को अग्रेषित मामलों पर 4 महीने में निर्णय किया जाना है। तथापि, एसवीबी, चेन्नै में परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2001 की तिथि से पहले एसवीबी को अग्रेषित मामले अभी तक लम्बित हैं।

**4.9.5 (vi)** निर्धारण दल 7 वायु सीमा शुल्क चेन्नै के संबंध में एस वीबी चेन्नै में मैं स्टोरा इन्सो इन्पैक डेल्टा इण्डिया प्राईवेट लि. के संबंध में एसवीबी को निर्धारण दल द्वारा गलत उल्लेख देखा गया था।

<sup>34</sup> परिपत्र सं. 11/2001 दिनांक 23.3.2001

<sup>35</sup> परिपत्र सं. 11/2001 दिनांक 23.3.2001

#### 4.9.5 (vii) आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई

सीबीईसी ने एसवीबीज में मामलों के लम्बन की बारीकी से निगरानी करने, एसवीबी पूछताझा प्रारंभ करने का अनुमोदन करने तथा छानबीन का पर्यवेक्षण करने के लिए एसवीबीज का कार्यकारी नियंत्रण दिसम्बर 2012<sup>36</sup> में महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) के कार्यालय को प्रत्यायोजित कर दिया गया था।

डीजीओवी ने अक्टूबर 2007 में एसवीबी चेन्नै का निरीक्षण किया तथा उसके पश्चात डीजीओवी द्वारा कोई निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी जो निगरानी नियंत्रण की कमी को दर्शाती है।

4.9.6 संबंधित पार्टी संव्यवहारों की अपर्याप्त पहचान तथा एसवीबी के पास पंजीकृत मामलों को अनितम रूप देने में विलम्ब ने उस उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए एसवीबी स्थापित की गई थी। इसके कारण विभाग में अनन्तिम निर्धारण/ईडीडी मामलों का संचय हो गया जिसने सरकारी राजस्व के संग्रहण में रुकावट डाली। इसी प्रकार, डीजीओवी के पास भी विशेष मूल्यांकन नियमावली के श्रेष्ठतम कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त नियंत्रण तथा निगरानी नहीं है।

#### विदेशी मुद्राविनिमय दर के अद्यतन में विलम्ब

4.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं की दरों का अद्यतन जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच), न्हावा शेवा को सौंपा गया है, सीमा शुल्क और सीमाशुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं की दरों का अद्यतन चेन्नई सी कस्टम्स को सौंपा गया है और इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा के विनिमय दर से संबंधित दर का अद्यतन सीबीईसी द्वारा इन्लैंड कंटेनर डिपो, पटपड़गंज को दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अपर्याप्त निर्देशिका अद्यतन के कई मामलों का उल्लेख लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विभिन्न उद्यायों में किया गया है।

<sup>36</sup> परिपत्र सं. 29/2012 सी.शू दिनांक 7.12.2012

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विदेशी मुद्रा की दर में बदलाव करने वाली 26 अगस्त, 2015 से प्रभावी अधिसूचना सं. 82/2015-सीमाशुल्क (एनटी), दिनांक 25 अगस्त, 2015 प्रणाली में 11 घंटे और 45 मिनट के विलंब से अद्यतित की गई थी। तब तक संशोधन कर दिया गया था, पुरानी विनिमय दर को लेते हुए विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों द्वारा 357 प्रविष्टि बिल फाइल कर दिए गए थे।

सूचित किए जाने पर बोर्ड ने निर्देशिका के विलंब से अद्यतन के कारण राजस्व को सुरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को परामर्श दिया।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि डीजी (प्रणाली) एक स्वचालित समाधान प्राप्त करने के लिए एसबीआई के साथ विनिमय दरों के प्रतिदिन अद्यतन के लिए मॉड्यूल पर कार्य कर रहा है। सीबीईसी ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि दैनिक विनिमय दर अद्यतन मैसेज का परीक्षण पूरा कर लिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आईसीईएस प्रणाली में अधिसूचना के अद्यतन में विलंब अभी जारी था (सितम्बर 2015), अतः बोर्ड के दावे को प्रमाणित नहीं किया जा सका।